रा० आवेदन 6. 203/17 नगारमपुर लालाराम बगैरा

05-5-18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान में अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत आडेल में पेश हुई। पक्षकारान को जारी लोक अदालत नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए। जो शामिल मिसल हो। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विप्रार्थीगण की रजिस्टर्ड तलबी भी करवाई गइ थी। लेकिन इसके उपरांत भी उपस्थित नहीं हुए है। लिहाजा विप्रार्थीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जात है। वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया। और शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत अभियान–
न्याय आपके द्वार 2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र आडेल)

पीठासीन अधिकारी–श्री अंजुम ताहिर सम्मा ,आर.ए.एस

राजस्व आवेदन स.203 / 2017

प्रार्थीगण

1.नगाराम पुत्र राऊराम
2.नरसींगाराम पुत्र राऊराम
3.जसाराम पुत्र राऊराम
जाति जाट निवासी आडेल
तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1.लालाराम पुत्र पूराराम
2.नथाराम पुत्र पूराराम
3.रामाराम पुत्र पूराराम जाति जाट निवासी राईको का नाड़ा तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर
4.जालाराम पुत्र मलाराम
5.पदमाराम पुत्र मलाराम
6.मुकनाराम पुत्र सोनाराम
7.मंगलाराम पुत्र सोनाराम
8.चैनाराम पुत्र उदाराम
9.पीराराम पुत्र उदाराम
10.टीकमाराम पुत्र लाखाराम
11.करनाराम पुत्र लाखाराम
12.हेराजराम पुत्र लाखाराम
13.गोरधनराम पुत्र दुर्गाराम
14.राजूराम पुत्र दुर्गाराम
15.चुतराराम पुत्र गुमनाराम
16.करनाराम पुत्र गुमनाराम
17.थानाराम पुत्र गुमनाराम
18.पूनमाराम पुत्र गुमनाराम
19.लिखमाराम पुत्र गुमनाराम जाति जाट निवासी राईको का नाड़ा (आडेल) तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर
20.डालूराम पुत्र अचलाराम
21. खरताराम पुत्र बागाराम जाति जाट निवासी भांभुओ की बेरी (आडेल) तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

स्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1 श्री बीजाराम गोदारा,अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थी स.1 से 22 एकरतफा।

आदेश

दिनांक–05.5.18

1.संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम राईको का नाड़ा पटवार क्षेत्र आडेल तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 168/1 रकबा 85–17 बीधा एवं ग्राम भांभुओ की बेरी पटवार क्षेत्र आडेल तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 573 रकबा 43–06 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा ग्राम राईको का नाड़ा पटवार क्षेत्र आडेल तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 168/1 रकबा 85–17 बीधा एवं ग्राम भांभुओ की बेरी पटवार क्षेत्र आडेल तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 573 रकबा 43–06 बीधा बीधा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2.प्रार्थीगण के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। एवं विप्रार्थीगण को राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होने हेतु भी नोटिस जारी किये गये। लेकिन विप्रार्थीगण बावजुद नोटिस तामिल के हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम राईको का नाड़ा पटवार क्षेत्र आडेल तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 168/1 रकबा 85–17 बीधा एवं ग्राम भांभुओ की बेरी पटवार क्षेत्र आडेल तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 573 रकबा 43–06 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम राईको का नाड़ा पटवार क्षेत्र आडेल तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 168/1 रकबा 85–17 बीधा एवं ग्राम भांभुओ की बेरी पटवार क्षेत्र आडेल तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 573 रकबा 43–06 बीधा भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,सलंग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि ग्राम राईको का नाड़ा पटवार क्षेत्र आडेल तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 168/1 रकबा 85–17 बीधा एवं ग्राम भांभुओ की बेरी पटवार क्षेत्र आडेल तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 573 रकबा 43–06 बीधा भूमि के प्रार्थीगण रिकार्डेड सहखातेदार है,जो पत्रावली के सलंग्न विवादित भूमि संवत 2069 से 2072 से प्रमाणित होता है। तथा काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते है,विप्राथीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामील होने के उपरांत भी हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है,कि विप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपति नहीं होगीं। ऐसी सूरत में उक्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपति प्रतीत नहीं होती है।

5. **लिहाजा,प्रार्थीगण का आवेदन राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर ग्राम राईको का नाड़ा पटवार क्षेत्र आडेल तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 168/1 रकबा 85–17 बीधा एवं ग्राम भांभुओ की बेरी पटवार क्षेत्र आडेल तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 573 रकबा 43–06 बीधा** भूमि के सबंध में सीमाज्ञान की नियमानुसार कार्यवाही करे। सीमाज्ञान शुल्क प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार वहन किया जावेगा। तत्पश्चात विवादित भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनंर फीस 500/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

(अंजुम ताहिर सम्मा)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 05-05-18 को लिखवाया जाकर मजमे आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

Scanned by CamScanner